बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

विभाग के अंतर्गत अकार्यरत ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के अकार्यरत रहने के कारणों एवं उन्हें चालू करने हेतु प्रस्तावों (योजनावार) की समीक्षा हेतु दि0–11.11.13 को अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव के कार्यालय कक्ष में अधीक्षण अभियंताओं के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

विभाग के अंतर्गत 1090 ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनायें है, जिनमें 350 योजनायें विभिन्न कारणों से बंद है। इस संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सूचना दी गई कि बंद योजनाओं को शीघ्र कार्याशील बनाया जाए। परन्तु इस संबंध में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। अधीक्षण अभियंताओं के साथ हुई बैठक में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

- राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के लिए निर्धारित मापदंड यथा, योजना से लाभान्वित आबादी (आधार वर्ष) 2000 से कम न हों एवं योजना से लाभान्वित आबादी के आधार पर योजना की प्रति व्यक्ति लागत 4500.00 रू0 से कम हो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राक्कलन तैयार कर मुख्यालय में भेजा जाय। जहाँ नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना की आवश्यकता हो एवं जहाँ पर्याप्त भूमि एवं विद्युत उपलब्ध हो तो इन योजनाओं से संबंधित प्राककलन उचित माध्यम से दि0–25 नवम्बर, 2013 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय, ताकि राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की अगली बैठक में विचार हेतु रखा जा सके।

- प्राक्कलन के साथ प्राक्कलन में प्रावधानित अवयवों के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्धता से संबंधित अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र, जिसमे भूमि का संबंधित ग्राम में खाता नं0, खेसरा नं0, रकबा एवं चौहद्दी इत्यादि का उल्लेख हो, निश्चित रूप से संलग्न किया जाय।

- प्राक्कलन के साथ प्रति दिन औसत विद्युत उपलब्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न की जाय।

- क्षेत्रीय स्तर से उपलब्ध कराई गई सूचना एवं विभागीय स्तर पर उपलब्ध सूचना के आधार पर योजनाओं की संख्या में कुछ भिन्नता पाई गई। इस संबंध में निदेश दिया गया कि अंचलवार ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना की समीक्षा एक पक्ष के अंदर कर प्रमंडलवार पूर्व में कार्यान्वित सभी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

- पूर्व में पूर्ण एवं वर्तमान में बंद वैसी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनायें जहाँ पर्याप्त भूमि एवं विद्युत उपलब्ध हो तो इन योजनाओं के पुनगर्ठन से संबंधित प्राककलन उचित माध्यम से दि0–25 नवम्बर, 2013 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय, ताकि राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की अगली बैठक में विचार हेतु रखा जा सके।

ह0/- 22/11/13

(जयशंकर चौधरी)

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचि

ज्ञापांक– 6/वि0-1046/12 – 2148 दिनांक– 27/11/13

प्रतिलिपि–

1. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता (यां0)/ कार्यपालक अभियंता (मो0)/उप निदेशक (मू0)/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर को निदेश है कि कार्यवाही की प्रति को विभागीय वेव–साईट पर अपलोड करें।

ह0/- 22/11/13

(जयशंकर चौधरी)

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

(10) आई0 टी0 मैनेजर